

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम-26)

2020/00102 ucms

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

मिसल नम्बर :- 138 /2020

किस्म प्रार्थना पत्र :- अ. धारा 136 एल.आर.ए.

कमलजीत पुत्र लीलाराम जाति मेघवाल निवासी बेसरड़ा
बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भू.अ.)खेतड़ी

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|---------------|--|---|
| 27.08.2020 | <p>आज यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थी स्वयं ने उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य व तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। तहसीलदार खेतड़ी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का नाम दुरुस्त किया जाना उचित नहीं है। प्रार्थी का सुना गया। तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी की रिपोर्ट के आधार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश न्यायालय में दिनांक 27.08.2020 को मजमे आम में सुनाया गया।</p> | |



(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुंझुनूं)

